न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 16 / 2021

1 अशोक उर्फ रामनिवास पुत्र पितराम जाति जाट निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनू हाल ए.एस.आई. पुलिस कॉलोनी मकान नम्बर 04 नजदीक विकासपुरी नई दिल्ली।
2 प्रवीन उर्फ प्राण पुत्र पितराम जाति जाट निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
3 सुरेन्द्र पुत्र पितराम जाति जाट निवासी पालोता हाल सरस्वती कॉलोनी हनुमान निवासी मकान के पास वार्ड नम्बर 11 झुंझुनू।
4 जगदीश पुत्र पितराम जाति जाट निवासी पालोता हाल गजराज भवन प्लॉट नम्बर 128 लक्ष्मीनगर बड़ी सेही रोड़ चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बलबीर सिंह पुत्र जयनारायण जाति जाट निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
2 मीरा पत्नी रामपाल जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
3 सुनिता पुत्री रामपाल पत्नी विजेन्द्र सिंह निवासी बुहाना हाल बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
4 नारायण सिंह पुत्र सुगनसिंह।
5 गोकुल सिंह पुत्र सुगनसिंह।
6 विमला पत्नी रावत सिंह।
7 खेमसिंह पुत्र रावतसिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

8 अजय सिंह पुत्र रावत सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण बुहाना जिला झुंझुनू।
9 ममता पुत्री रावतसिंह पत्नी उम्मेद सिंह निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू हाल प्लॉट नम्बर 46 देवनगर नजदीक भोमियाजी का मन्दिर मुरलीपुरा जयपुर।
10 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 07.01.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुंझुनू उनवानी बलवीर सिंह बनाम अशोक उर्फ रामनिवास वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 106/2019

उपस्थिति :

1. श्री झाबर सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 06.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 106/2019 में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक की ओर से विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय को पेश किया कि वाके ग्राम ठोठवाल स्थित भूमि खाता संख्या 53 खसरा नम्बर 21 रकबा 3.60 हैक्टेयर की खातेदारी आवेदक के नाम दर्ज रिकार्ड है। आवेदक ने अपनी कास्त की भूमि हाल खसरा नम्बर 21 रकबा 3.60 है भूमि में एक चाह बना रखा है। जिसमें बिजली का कनेक्शन ले रखा है तथा रिहाईसी मकान बना रखे है जिस में वह परिवार सहित निवास कर रहा है, आवेदक के खेत में बने मकान व कुएं पर आने जाने के लिए कोई स्थाई रास्ता नहीं है। आवेदक के खेत खसरा नम्बर 21 के दक्षिण अनावेदकगण का खेत खसरा नम्बर 20 रकबा 1.30 हैक्टेयर स्थित है जो राजस्व ग्राम ठोठवाल की सरहद में है इस आराजीयात में से पूर्व पश्चिम सड़क आम सड़क खसरा नम्बर 71 बुहाना से पालोता की जाती है आवेदक अपने खेत खसरा नम्बर 21 में बने कुए/मकानो पर आम सड़क पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 20 की पूर्वी मेड के सहारे–सहारे अपने पूर्वजो के समय से ही आना जाना करते है तथा इसी अस्थाई रास्ते का ऊंट गाड़ी ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने का उपयोग करते आ रहे है। अंत में आवेदकगण ने अनुतोष चाहा कि आवेदक को ग्राम ठोठवाल स्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 21 में आने जाने ट्रेक्टर/वाहन ले जाने के लिए हाल खसरा नम्बर 20 रकबा 1.30 हैक्टेयर में से आवेदन पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बुहाना सड़क 71 से खसरा नम्बर 20 की पूर्वी सीमा के सहारे 16 फुट चौड़ा रास्ता नियमानुसार आवेदक से मुआवजा राशि ली जाकर दिया जावे व तद्नुसार तहसीलदार बुहाना को मौके पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमावें। आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 5,7,8,9,13 के सन्दर्भ में तामील बाबत कोई आदेश पारित नही किया गया है। इसी रास्ते के सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 40 में से रास्ता मांगा गया था। इसके उपरान्त पुनः विचाराधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विधि अनुसार रेस जुडी काटा के तहत प्रार्थी का आवेदन खारिज योग्य था। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है जबकि मौका रिपोर्ट आई.एल.आर से नीचे के स्तर पर तैयार नही करवाई जा सकती है। विचारण न्यायालय का आदेश भी स्पष्ट नही है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि धारा 251ए के अन्तर्गत संक्षिप्त कार्यवाही होती है। अप्रार्थी को सुचित किया जाना पर्याप्त होता है। विचारण न्यायालय की आदेशिका मे सभी पक्षकारों की तामील बाबत अंकन है। पूर्व प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने से नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय द्वारा निकटतम दूरी का रास्ता दिया गया है। इसकी पुष्टि नक्शे के अवलोकन मात्र से हो जाती है। प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता होने का कोई साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। मौका रिपोर्ट आई.एल.आर. द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में शेष सहखातेदारो द्वारा सहमती भी प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसी रास्ते के सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 40 में से रास्ता मांगा गया था। इसकी पुष्टि विचारण न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न प्रार्थी के आवेदन दिनांक 23.05.2018 की छाया प्रति से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

होती है। इस प्राथना पत्र के कम में विचारण न्यायलय में मौका रिपोर्ट भी प्रस्तुत हुई है। विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने यह जाहिर नहीं किया है कि पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पर विचारण न्यायालय द्वारा क्या निर्णय पारित किया गया एवं पुनः प्रार्थी को आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों हुई। इसके उपरान्त पुनः विचाराधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में इस बिन्दु पर भी कोई विवेचन नहीं किया गया है। विधि अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा फर्द मौका जांच रिपोर्ट में उभयपक्षकारान को नोटिस देकर उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करने का कोई उल्लेख/साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय की समस्त कार्यवाही अपीलांट की अनुपस्थिति में हुई है। विधि अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा फर्द मौका जांच रिपोर्ट में उभयपक्षकारान को नोटिस देकर उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करने का कोई उल्लेख/साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अपने अपील मेमो में अपीलांट ने रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले में भूमि देने का अंकन भी किया है इन सभी तथ्यों पर निर्णय विचारण न्यायलय में उभयपक्ष को सुनकर किया जाना श्रेयस्कर होता है। साथ ही धारा 251 (ए) के अंतर्गत मौका रिपोर्ट तैयार करते समय पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रकिया अपनाकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.01.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर